संख्या– /VI-4/2023–5(11)17 Com No–78710

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : दिसम्बर, 2023

विषय :– युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण हेतु मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1182/दो–लेखा/विविध/2023–24 दिनांक 14.09.2023 एवं पत्र संख्या–1763/दो–लेखा/विविध/2023–24 दिनांक 15.12.2023 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल मैदान निर्माण हेतु मानकों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–474/VI-4/2021–05(11)17 दिनांक 28.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए शासन स्तर पर सम्यकविचारोपरान्त् राज्य में खेल मैदान निर्माण हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. खेल मैदान निर्माण का उद्देश्य – स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, युवाओं में खेल प्रतिस्पर्धा, विभिन्न शासकीय/अशासकीय विभागों की भर्ती में निर्धारित शारीरिक परीक्षा की तैयारी हेतु स्थल उपलब्ध कराना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 01 खेल मैदान बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

2. खेल मैदान का आकार व स्वामित्व –

- भूमि युवा कल्याण विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई जाएगी। भूमि निजी दानदाताओं द्वारा दान के रूप में अथवा ग्राम समाज/नजूल या अन्य राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि का आवंटन युवा कल्याण विभाग के नाम सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। निजी दानदाताओं द्वारा दी गई भूमि की रजिस्ट्री पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
- किसी शासकीय विभाग, प्राधिकरण, राजकीय/शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान/विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय की भूमि पर संबन्धित संस्था/विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ खेल मैदान का निर्माण प्रस्तावित किया जा सकता है। अन्य प्रकार की भूमि होने पर युवा कल्याण विभाग के नाम हस्तान्तरण होने के पश्चात ही खेल मैदान का निर्माण प्रस्तावित किया जाएगा।
- प्रस्तावित खेल मैदान ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय के अन्तर्गत कहीं भी हो सकता है।

➢ खेल मैदान में भूमि की माप पर्वतीय क्षेत्र में 0.5 एकड़ (न्यूनतम 50मी0×40मी0 समतल) तथा मैदानी क्षेत्रों में 1.18 एकड़ (न्यूनतम 80 मी0×60 मी0 समतल भूमि) होना आवश्यक है।

➢ प्रस्तावित खेल मैदान स्थल आबादी के निकट एवं नदी, नाले, शमशान घ ाट/कब्रिस्तान से दूर होना चाहिए तथा वृक्ष रहित और किसी प्रकार से कब्जा या विवाद रहित होना आवश्यक है।

3. खेल गतिविधियां एवं प्रशिक्षण – खेल मैदान में दौड़, लम्बीकूद एवं ऊंचीकूद, थ्रो पर आधारित खेल, खो–खो, कबड्डी, वालीबाल, फुटबाल, बास्केटबाल, पुशअप, चिनअप, ताईक्वांडो, बाक्सिंग आदि सुविधाऐं उपलब्ध कराई जायगी। युवाओं के विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण हेतु 01 खेल प्रशिक्षक खेल विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर तैनात किया जाएगा जिसका मानदेय का भुगतान युवा कल्याण विभाग की जिला योजना से किया जाएगा तथा तैनात अंशकालिक प्रशिक्षक को एक से अधिक खेल मैदानों में प्रशिक्षण का दायित्व दिया जा सकता है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं विभागीय व्यायाम प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया जाएगा।

4. खेल मैदान का रख–रखाव – युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व में रहते हुए खेल मैदान के रख–रखाव हेतु स्थानीय ग्राम प्रधान/नगर निकाय का वार्ड सदस्य क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी/व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण विभाग एवं खेल प्रशिक्षक खेल विभाग की एक समिति इस मैदान के रख–रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य करेगी। यह समिति स्थानीय स्तर पर मैदान को अतिक्रमण एवं किसी प्रकार से क्षति से बचाव और मैदान की स्वच्छता हेतु भी कार्य करेगी। खेल उपकरण अथवा लघु मरम्मत कार्य हेतु ग्राम पंचायत/नगर निकाय को युवा कल्याण विभाग के जिला योजना अन्तर्गत व्यायामशाला निर्माण मद से प्रतिवर्ष रु0 5.00 हजार की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो उक्त समिति के माध्यम से इसका उपयोग करेंगे।

5. निर्माण लागत एवं वित्तीय स्त्रोत – खेल मैदान की कुल लागत रू0 42,50,000/–(25+12.5+5 लाख) से अनाधिक होगी जिसके अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में ऐसी भूमि जहां रिटेनिंग वॉल के बिना खेल मैदान निर्मित न हो पा रहा हो एवं भूमि के कटान, समतलीकरण, भरान की लागत अत्यधिक हो तो जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर भूमि के कटान, समतलीकरण, भरान एवं रिटेनिंग वॉल के निर्माण सम्बन्धी कार्य रू0 12. 50 लाख की सीमा तक कराये जायेंगे। सम्बन्धित आंगणन में उक्त कार्य हेतु मितव्ययता एवं वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित किया जायेगा तथा खेल मैदान हेतु रू0 1.00 लाख से रू0 5.00 लाख तक खेल उपकरणों यथा चिनअप बार, हारीजेन्टल बार, पैरलल बार, गोला, हैमर, चक्का आदि की स्थापना पर व्यय किया जायेगा एवं रू0 25.00 लाख के अन्तर्गत खेल मैदान में निम्न कार्य कराये जाने आवश्यक होंगे :–

निर्माण अन्तर्गत मैदान का साइट डेवलपमेन्ट, तार–बाड़ एवं 10 फीट चौड़ाई का गेट जिस पर विभाग का नाम तथा निर्माण की लागत का उल्लेख होगा, बनाया जाएगा। खेल गतिविधियों हेतु रनिंग ट्रैक, गोला, हैमर, चक्का आदि के क्षेपण हेतु मानक स्थल, कुश्ती पिच, लम्बीकूद पिट, खो–खो एवं कबड्डी मैदान का निर्माण तथा अति महत्वपूर्ण आवश्यकता एवं स्वच्छता के दृष्टिगत टॉयलेट एवं पेयजल व्यवस्था आदि सम्मिलित होगा।

➢ खेल मैदान हेतु निर्धारित धनराशि युवा कल्याण विभाग के राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद से निर्गत की जाएगी। अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर विधायक निधि, सांसद निधि, अन्य निधि अथवा मनरेगा से निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

6. अन्य बिन्दु :–

(1) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खेल मैदान एवं मिनी स्टेडियम संचालन समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें खेल, शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी सम्मिलित रहेंगे ताकि अन्य विभागों की अनुपयोगी भूमि का प्रयोग खेल मैदानों हेतु किया जा सके। उक्त समिति निर्मित खेल मैदान के समुचित उपयोग यथा–खेलों के अभ्यास, प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में करेगी।

(2) खेल मैदान निर्माण हेतु प्रस्तावित आगणनों की टी0ए0सी0 अनिवार्यतः नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 सैल से करायी जाएगी।

भवदीय,

Signed by Amit Kumar Sinha
Date: 29-12-2023 11:09:53

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या /VI-4/2023–5(11)17 Com No–78710 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Dhirendra Kumar Singh
Date: 29-12-2023 11:20:14

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव